

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र गरमी

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 77 / 2018



प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गरमी व भूअ.नि. नर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गरमी तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2011-14 में खाता संख्या 100 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>गरमी</u>	<u>100</u>	<u>रवाली</u>	<u>शुद्ध</u>



पकज शर्मा
(पकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(मोहनलाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
राशमी

क्रमांक / राजस्व / 77/2018

दिनांक :- 10/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्री. वि. राम लुगा कि. गरमी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पकज शर्मा
(पकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(मोहनलाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
राशमी